>

Title: Regarding alleged irregularities in cricket organisations and need for auditing the accounts of those organizations.

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आदरणीय नेता सदन और खेल मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। हम रोज कोई न कोई ऐसी घटना टेलीविजन पर देख रहे हैं या सुनने में आ रही हैं। कल रात ही एक घटना कुछ आईपीएल खिलाड़ियों की रेव पार्टी को लेकर हुई। ये घटनाएं रोज आ रही हैं जिस कारण खेल और देश की छवि धूमिल हो रही है। अभी मेरे लिए न आईपीएल और न ही कोई दूसरी चीज ईशू है। मेरे लिए यह व्यवस्था का प्रश्न है, इस सिस्टम का प्रश्न है। एक बार रिपोर्ट आई थी कि आईपीएल का धन विदेशों से टैक्स हेवन से होता हुआ आया है। उसके ऊपर वित्त मंत्रालय ने अपने विभागों द्वारा कार्य भी चालू करवाया था, लेकिन वह सब मामला ठप्प पड़ गया। उसके कारण लोगों के मन में यह आत्मविश्वास बढ़ा और गड़बड़ियां बढ़ती चली गई। माननीय खेल मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप बेबस हैं, आप बीसीसीआई के ऊपर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह आपसे बहुत ऊपर है, इस सरकार से भी ऊपर है। मै यह कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में जो कमी है, आज हमारे साथी, सत्ता के लोग, सरकार के लोग, विपक्ष के लोग सब इसमें सम्मिलित हैं। सरकार यह कर सकती है कि जो संस्थाएं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़, कम्पनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जिनके घर खुद शीशे के हैं, वे दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मार पा रहे हैं। इन संस्थाओं की बुनियाद में ही कमी है। I will request the hon. Leader of the House, who is a father figure for me and has been esteemed colleague of my father when he was here in this House, that would we come to know as to what is the source of this black money; the money laundering has been done through tax havens. It has also been reported in the Report of the Standing Committee of Finance – headed by Shri Yashwant Sinha – which was presented in this House on the 2nd of August 2011.

अगर हम इन चीजों में विलंब करते रहेंगे, तो लोगों के मन में आता है कि ठीक है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम जो चाहे, वह कर सकते हैं। आज यह परिस्थिति सामने आ गयी। आईपीएल की घटनाएं जो बार-बार हो रही हैं, शर्मनाक हैं, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन आदरणीय नेता सदन, जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप असहाय हैं। लेकिन क्या आप मुझे यहां एक आश्वासन दे सकते हैं कि जितनी भी एसोसियेशन्स रजिस्टर्ड हैं, आप उनके ऊपर इंडीपेंडेंट लोगों से कोई इंटरनल स्पैशल ऑडिट करवा सकते हैं और देख सकते हैं? अभी वित्त मंत्रालय ने इन लोगों से 413 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स मांगा है और ऐग्जैम्पशन हटाया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारे कहने के बाद क्यों हुआ? सरकार यह कार्य पहले से क्यों नहीं कर रही? इतना विलंब क्यों हो रहा है?

खेल मंत्री जी, यदि आप बीसीसीआई के अंदर आरटीआई नहीं लगा सकते, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, उन पर स्पेशल ऑडिट तो कर सकते हैं? उनमें जो खामियां हैं, उस बारे में पता कर सकते हैं? ...(व्यवधान) क्या आप इन चीजों की भी जानकारी नहीं ले सकते। ...(व्यवधान) आप बार-बार कह देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बीसीसीआई मेरे अंडर नहीं है, आरटीआई मेरे अंडर नहीं है। हालांकि आपने सदन के बाहर जो स्टेटमैंट्स दिये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वह स्टेटमैंट आप यहां भी देंगे। आप केवल यह स्टेटमैंट नहीं देंगे कि आईपीएल को बीसीसीआई से अलग कर दिया जाये, लेकिन आप इस हाउस को आश्वासित करें, क्योंकि क्रिकेट का खेल हमारे देश में एक धर्म की तरह माना जाता है। बाकी खेलों के ऊपर ऑडिट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, तो फिर क्रिकेट के ऊपर स्पेशल ऑडिट इन सब जगहों पर क्यों नहीं हो सकता? इन एसोसियेशन्स में प्रशासन और पुलिस द्वारा जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उन पर आप क्या कदम उठायेंगे? आप यहां बैठे हैं, नेता सदन बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि वे इसका जवाब दें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN :

Shri P.L. Punia,

Shri Virendra Kumar,

Shri M.B. Rajesh,

Shri Jitendra Singh Bundela,

Shri Rajendra Agarwal,

Prof.(Dr.) Ram Shankar Katheria are permitted to associate themselves with the issue raised by Shri Kirti Azad.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एकाउंटेबिलिटी का ...(व्यवधान) इतना जबरदस्त मूवमैंट बना हुआ है। क्या बात है कि इस देश में हर तरह, यानी आप बैठकर टीवी और न्यूज़ नहीं देख सकते। देश भर में चौबीस घंटे ऐसा तमाशा चलाया जा रहा है, लगता है कि देश में कोई राज ही नही है, किसी तरह की कोई सरकार ही नहीं है। अभी जो बात कीर्ति आजाद जी ने उठायी, उसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस मामले को कई बार यहां

उठाया गया है।

सभापति महोदय, सरकार के मंत्री और प्रणब बाबू आदि सब सुनते रहते हैं। क्या बात है, कौन सी बात है, इतना बड़ा तमाशा, इतना बड़ा पतन हमारा हो रहा है। हम इस तरह की स्थिति में पहुंच गये हैं कि सारे लोग, हमारे बच्चे रेव पार्टी में जाते हैं। ...(व्यवधान) इस तरह का तमाशा, हमारी मर्यादा को तोड़ रहा है। ...(व्यवधान) सरकार ने जो जांच करानी शुरू की, मैं उसे मानता हूं। आप उसे क्यों नहीं एकाउंट में डालते। ...(व्यवधान) क्या बात है? आपकी सरकार में सब मंत्री बैठे हैं। यह क्या दबाव है? ..(व्यवधान)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने इसके ऊपर गत महीनों में बहुत तीखी और तेजी से कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, इसलिए आप हमारी बात भी सुनिए। ...(व्यवधान) वर्ष 1996 से बीसीसीआई को एज़ चेरिटेबल इंस्टीट्यूशन इनकम टैक्स के अंदर ऐग्जैम्पशन प्राप्त था। वर्ष 2009 में इनकम टैक्स डिपार्टमैंट ने उनका वर्ष 2006-07 से रेट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से इनकम टैक्स ऐग्जैम्पशन विदड्रा कर दिया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1996 से 2006, यानी दस वर्षों के अंदर बीसीसीआई ने 365 करोड़ 24 लाख रुपये इनकम टैक्स का ऐग्जैम्पशन लिया। उसके बाद वर्ष 2007, 2008, और 2009 में इनकम टैक्स डिपार्टमैंट ने 118 करोड़ रुपये और 257 करोड़ 12 लाख रुपये की टैक्स लायेबिलिटी बीसीसीआई के ऊपर लगायी। यह अब हुआ है, यह मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

इसमें से वर्ष 2007-08 के 118 करोड़ रुपये रियलाइज हो चुके हैं और वर्ष 2008-09 में 131 करोड़ रुपये रियलाइज हो चके हैं। बीसीसीआई टैक्स ट्रिब्यूनल में गयी है, वहां उन्होंने अपील की है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी ताकत से इस केस को लड़ रहा है। ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए, आपने बात रेज की है, लोगों को पता रहना चाहिए। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 19 नोटिसेज आईपीएल और बीसीसीआई को इश्यू किए हैं। 1077 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत के फेमा वायलेशन्स के नोटिसेज इश्यू किए गए हैं जिन पर तेजी से कार्रवाई हो रही है। पिछले सप्ताह जब दुबारा यह मसला उठा, उस वक्त 17 मई को हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को फिर से चिट्ठी लिखकर कहा कि जो नोटिसेज दिए गए हैं, उन पर तेजी से कार्रवाई की जाए और उसकी जानकारी हमें दी जाए और 18 मई को सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स ने सेक्रेटरी, रेवेन्यू को एक पत्र लिखकर कहा कि जो आईपीएल के नए मामले, जो प्लेयर्स आरोप लगा रहे हैं कि उनको ब्लैक मनी के रूप में पैसा मिल रहा है, उसके ऊपर भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी इनक्वायरी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स मंत्रालय ने सेक्रेटरी, रेवेन्यू को लिखकर कहा है कि इसकी जांच कराई जाए। बेशक बीसीसीआई इसकी खुद जांच कर रही है या नहीं कर रही है, किस तरीके से कर रही है, लेकिन हम लोगों ने, स्पोर्ट्स मंत्रालय ने रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखा है कि इसकी जांच तेजी से कराई जाए और ईडी एवं आईटी डिपार्टमेंट, दोनों इसमें तेजी से काम करें।

दूसरा, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि राइट टू इनफार्मेशन के दायरे में बीसीसीआई को आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और इसके लिए सेंट्रल इनफारमेशन कमीशन के सामने स्पोर्ट्स मंत्रालय ने बार-बार इस बात को रखा है। इसकी हियरिंग सेंट्रल इनफारमेशन कमीशन के सामने चल रही है। सरकार का, स्पोर्ट्स मंत्रालय का यह मानना है कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा है, वर्ष 1996 से 2006 तक जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन दिया गया है, वह लगभग 365 करोड़ रुपये है। इसके अलावा जो जमीनें क्रिकेट के लिए चाहे बीसीसीआई को या स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन्स को दी गयी हैं, वे लगभग मुफ्त दी गयी हैं। अब आज अगर बीसीसीआई को उसका फायदा मिल रहा है, तो उसको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए।

तीसरा, हमारा यह मानना है कि सबसे बड़ा पब्लिक फंक्शन अगर बीसीसीआई करती है, तो वह यह करती है कि एक ऐसी टीम को चुनती है, जो इंडिया को रिप्रजेंट करती है, एक ऐसी टीम को चुनती है जो भारत के फ्लैग के नीचे खेलती है। इससे बड़ा कोई पब्लिक फंक्शन नहीं हो सकता, जब वह टीम भारत के फ्लैग के नीचे खेले, भारतीय टीम कहलाई जाए। इस तरह से वे सबसे बड़ा पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए उनको आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। इस बात को हम लोग सीआईसी के सामने जोरदार ढंग से रख रहे हैं और इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे, यह बात मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri Basu Deb Acharia.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Acharia speaks.

...(*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): What about special audit?

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Acharia, you speak about the subject you want to raise during 'Zero Hour'.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦